International Research Journal of Commerce and Law
Volume 12 Issue 11, Nov 2024 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 8.843
Journal Homepage: http://ijmr.net.in,
Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

शरणार्थी विधि और भारत

डॉ.संजय कुमार रायपुरिया, सहायक आचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय,
अलवर (राज.)

शरणार्थी समस्या कोई नई नही है। यह सदियों पुरानी एक मानवीय समस्या है, यह इतनी पुरानी है जितना स्वयं इतिहास। भारत में हजारों शरणार्थी आज भी आश्रय लिये हुये है। आश्रय प्रदान करना हमारी सदियों पुरानी परम्परा रही है। भारत में हजारों शरणार्थियों का निवास है। आश्रय प्रदान करना भारत की सदियों पुरानी और उदार परम्परा रही है। '' उदार चरितानाम – वसुधैव कुटुम्बकम भारत की संस्कृति का अंग सदियों से रहा है ''।

शरणार्थी विधि को साधन विहिन और राष्ट्र विहीन मानव की संरक्षा का उपादान माना जाता है। इस विधि का प्रादुर्भाव अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा हुआ है। शरणार्थी विधि को मानवाधिकारो से संबंधित विधि माना जाता है क्योंकि शरणार्थी व्यक्ति आन्तरिक संघर्ष अथवा आपदा का शिकार होता है।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 14(1) में उपबंध किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर उसे दूसरे देशो में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

शरण लेना मानवीय अधिकार तथा शरण देना मानवीय कर्तव्य है और शरण लेने तथा देने तथा शरणार्थियों के अधिकारों से सम्बन्धित विधि भी शरणार्थी विधि के रूप में मानवाधिकारों अथवा मानवीय विधि का भाग है।

शरणार्थी का अर्थ एवं परिभाषा :–

शरणार्थी सर्वप्रथम एक पीडित सताया हुआ व्यक्ति होता है। शरणार्थियों के दर्जे से सम्बन्धित 1951 के अधिसमय के अनुच्छेद 1 (2) के अनुसार ''शरणार्थी'' एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपनी जाति, धर्म, नागरिकता किसी विशिष्ट सामाजिक वर्ग की सदस्यता या अपनी राजनैतिक मान्यता की वजह से सताये जाने की दृढ़ आशंका के कारण अपने देश से बाहर है और इस कारण अपने देश वापिस जाने में असमर्थ है अथवा उत्पीडन के भय एवं आशंका के कारण वहां लौटने से अनिच्छुक है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में शरणार्थी ऐसे व्यक्तियों या लोगो को कहा जाता है जो अपने देश से भाग आए हो और अब लौटने में असमर्थ हो, अथवा वहां लौटने पर उत्पीडन की ठोस आशंका के कारण लौटने को तैयार नही हों।

शरणार्थी अभिसमय के अनुच्छेद 1 में दी गई परिभाषा में दो समूहों या वर्ग के शरणार्थी आते है–

1. सांविधानिक शरणार्थी अर्थात जिन्हें पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजो में या अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन में शरणार्थी माना जा चुका है।
2. द्वितीय वे है जिन्हें प्रथम बार शरणार्थी का दर्जा दिया गया है।

शरणार्थी अभिसमय 1951 के अन्तर्गत शरणार्थी के निम्न चार प्रमुख लक्षण होने चाहिए–

1. शरणार्थी अपने मूल देश से बाहर होना चाहिए।
2. वह अपने देश का संरक्षण पाने में या इस देश में लौटने मे असमर्थ है।
3. ऐसी असमर्थता या अनिच्छा सुप्रमाणित भय या उत्पीडन पर आधारित है।
4. उत्पीडन का भय मूलवंश, धर्म, राष्ट्रीयता एक समूह का सदस्य होना या राजनैतिक विचारधारा पर आधारित है।

अपवाद –

शरणार्थी अभिसमय में दी गयी शरणार्थी की परिभाषा दो समूहों को सम्मिलित नही करती।

1. वे लोग जो वर्तमान में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त से भिन्न संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अन्य अंग अभिकरण से संरक्षण या सहायता प्राप्त कर रहे है।

2. वे लोग जो यद्यपि सामान्यता शरणार्थी की परिभाषा में आयेंगें परन्तु जो अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण के योग्य नही माने गये।

शरणार्थी प्रास्थिति की समाप्ति –

कोई भी व्यक्ति शरणार्थी बनने के बाद निम्नलिखित स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में शरणार्थी की प्रास्थिति से वंचित हो जाएगा–

1. यदि वह स्वयं अपने देश की संरक्षा पुनः प्राप्त कर लेता है।
2. राष्ट्रीयता खोने के बाद स्वेच्छया से पुनः स्थायी रूप से इसको प्राप्त कर लेता है।
3. यदि वह अन्य देश की राष्ट्रीयता वाले देश का संरक्षण प्राप्त कर लेता है तथा नई राष्ट्रीयता वाले देश का संरक्षण प्राप्त कर लेता है।
4. यदि ऐसी स्थितियां समाप्त हो जाती है, जिनके कारण इसको शरणार्थी बनना पडा था वह अपने देश को वापस होने की स्थितियों के अनुकूल अपने को पाता है।

शरणार्थी विधि का उद्भव और विकास

10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना के उपरांत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति के उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त शरणार्थियों के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ द्वारा उपबंध किया गया था। हजारो की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तुर्की आदि देशो से अपने घरो को छोड़कर अफगानिस्तान को पलायन कर गए। इसी तरह सन् 1921 में यूरोप में रूसी शरणार्थियों के शरण लेने के उपरांत राष्ट्र संघ के द्वारा शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए डॉ. फिटजॉफ नेनसेन को राष्ट्र संघ का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।

उच्चायोग को शरणार्थियों की प्रास्थिति को निर्धारित करने उनके आवास की व्यवस्था उनके कार्य की व्यवस्था तथा उनको दी जाने वाली सहायता का कार्य सौपा गया। रूसी शरणार्थियों के लिए गठित उच्चायोग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर सन् 1928 में तुर्की के शरणार्थियों की समस्या के समाधान का दायित्व भी सौंपा गया।

सन् 1931 में राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नेनसेन कार्यालय की स्थापना की। 1933 में जर्मनी से भागे हुए शरणार्थियों के लिए एक पृथक उच्चायोग की स्थापना की गई। 1938 में जर्मनी के शरणार्थियों के लिए अभिसमय पारित किया गया।

सन् 1943 में शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता एवं पुनर्वास प्रशासन नियुक्त किया गया। सन् 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन की स्थापना की गई। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की सहायता उपलब्ध कराई।

1 जनवरी 1951 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने उच्चायोग की स्थापना की गई। 1951 मे शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय भी पारित किया गया। 31 जनवरी 1967 को शरणार्थियों की प्रास्थिति संबंधी प्रोटोकोल पारित किया।

1984 में शरणार्थियों की कार्टाजेना घोषणा की गई 1985 में शरणार्थी महिला और अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षा, 1989 में शरणार्थी बच्चों के लिए उपबंध, 1933 में शरणार्थी संरक्षा और यौनाचार हिंसा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय उपबंध पारित हुए।

प्रथम शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा नैनसेन पासपोर्ट जारी किया जो शरणार्थी के लिए आज के यात्रा दस्तावेज का अग्रदूत बना यह पासपोर्ट हजारो लोगो के लिए घर वापस लौटने और दूसरे देशों मे सहायक बना।

नेनसेन को शरणार्थियों और विस्थापितों की ओर से किये गये उनके कार्य के लिए 1922 में नोबेल पुरूस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार शरणार्थी विधि का विकास क्रम अभी निरंतर जारी है।

शरणार्थी के अधिकार –

शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लेख शरणार्थियों से सम्बन्धित अभिसमय 1951 मे किया गया है जिनका विस्तृत उल्लेख निम्न है–

1. शरणार्थी के अधिकार के रूप में वैयक्तिक प्रास्थिति – अभिसमय के अनुच्छेद 12 में शरणार्थी की वैयक्तिक प्रास्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शरणार्थी की वैयक्तिक का निर्धारण उसके अधिवास देश की विधि के अनुसार किया जाएगा और यदि उसका कोई अधिवास नही है तो शरणार्थी जहां निवास कर रहा है उस देश की विधि के अनुसार दिया जायेगा।
2. शरणार्थी की संगम और स्थावर सम्पति का अधिकार।
3. शरणार्थी की कुशलता का अधिकार तथा औधोगिक सम्पति।
4. संगठन एवं विचारण का अधिकार (अनु.–15)
5. न्याय पाने का अधिकार
6. नियोजन में पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार (अनु.–17)
7. वापस जाने का अधिकार
8. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार

शरणार्थी संरक्षण (Refugee Protection) –

शरणार्थियों की प्रास्थिति से संबंधित अभिसमय के अनुच्छेद 3 के उपबंधानुसार इस अभिसमय को लागू करने मे समझौते वाले देश जाति, धर्म और देश के उद्भव के आधार पर विभेद नही करेंगे। इसका अर्थ है कि शरण देने वाला देश सभी लोगो को संरक्षा देगा।

अनुच्छेद 4 शरणार्थियों को धर्म की स्वतंत्रता तथा बच्चों को धर्म की शिक्षा की संरक्षा उपबंध करता है। अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 भोजन, आवास, वस्त्र तथा लोकशिक्षा का संरक्षण प्रदान करता है।

शरणार्थियो के संरक्षण से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय करार–

शरणार्थियों के संरक्षण से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजो में सबसे ज्यादा बुनियादि दस्तावेज है शरणार्थियों के प्रास्थिति (दर्जे) से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय (1951) जिसका 1967 के संयुक्त राष्ट्रीय प्रोटोकोल (सहमति पत्र) के रूप मे विस्तार हुआ है।

1. शरणार्थियों की प्रास्थिति (दर्जे) से सम्बन्धित अभिसमय – 28 जुलाई 1951 को भंगीकार किया गया तथा 22 अप्रेल 1954 से प्रभावी हुआ। यह अभिसमय 7 अध्याय तथा 46 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। इस अभिसमय के मुख्य प्रावधान निम्न है :–

1. सामान्य प्रावधान (अनुच्छेद 1 से 11)
2. शरणार्थियों की न्यायिक स्थिति (अनुच्छेद 12 से 16)
3. लाभकर नियोजन (अनुच्छेद 17 से 19)
4. कल्याण (अनुच्छेद 20 से 24)
5. प्रशासकीय उपाय (अनुच्छेद 25 से 34)
6. निस्पादन और अल्पकालिक प्रावधान (अनुच्छेद 35 से 37)
7. अन्तिम प्रावधान (अनुच्छेद 38 से 46)

अभिसमय के अन्तर्गत शरणार्थियों के अधिकार –

1. गैर भेदभाव का अधिकार
2. धर्म संबंधी का अधिकार
3. विवाह संबंधी का अधिकार
4. चल और अचल सम्पति के अर्जन का अधिकार
5. कलात्मक और औधौगिक सम्पति का अधिकार
6. देश के न्यायालयों तक पहुंच का अधिकार

उपरोक्त के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए गये है।

2. शरणार्थियों की प्रास्थित से सम्बन्धित प्रोटोकोल – सहमति पत्र पर हस्ताक्षर 31 जनवरी 1967 को हुआ और इस पर हस्ताक्षर करने वालो में ये तत्कालीन महासभा के अध्यक्ष तथा महासचिव इस सहमति पत्र को महासभा ने अपने संकल्प संख्या 2198, 16 दिसम्बर 1966 के द्वारा ग्रहण कर लिया, सहमति पत्र 4 अक्टूबर 1967 से प्रभावी हुआ। सहमति पत्र 11 अनुच्छेदो में बंटा हुआ है।
3. अफ्रिका में शरणार्थी समस्या के विशिष्ट पहलुओ से सम्बन्धित अफ्रिकी एकता संगठन का अभिसमय– 10 दिसम्बर 1969 को अंगीकार किया गया तथा 20 जनवरी 1974 से प्रभावी हुआ यह अभिसमय 15 अनुच्छेदो में बंटा हुआ है।

भारत में शरणार्थियो की स्थिति :– आजादी के साथ ही रातों रात लाखों भारतीय अपने ही घर में शरणार्थी बन गये। देश बंटवारे में लगभग 1 करोड़ 50 लाख लोग इधर–उधर हो गये लगभग 85 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गये और लगभग 65 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आये। इन विस्थापित लोगों की समस्या से निपटने के लिए विधायी और प्रशासकीय कदम उठाये।

विधायी कदमों में पुनर्वास वित प्रशासन अधिनियम 1948 और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकार और पुनर्वास) अधिनियिम 1954 तथा विस्थापित व्यक्ति अनुपूरक अधिनियम 1954 आदि है। प्रशासकीय स्तर पर भारत सरकार में एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की गई जिसका काम शरणार्थियों की विषय समस्याओं का निदान ढूढ़ना जैसे उनके लिए परिवहन दूर संचार जीविका और भूमि का आंवटन आदि की व्यवस्था करना। उपरोक्त भारतीय अधिनियम ने ऐसे शरणार्थियों को शरणार्थी न मानकर 'विस्थापित लोग' माना।

भारत में शरणाथियों की समस्या सन् 1960 से तिब्बतियों के आने के बाद से जटिल होती गई है जब एक लाख से ज्यादा तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। ये लोग अभी भी शरणार्थी बने हुए है, इनमें से ज्यादातर शरणार्थी बस्तियों में रह रहे है और वे सभी सुविधायें प्राप्त कर रहे है, जो भारतीय नागरिकों को मिली हुई है।

फरवरी 1969 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने तिब्बती शरणार्थियों को सहायता पंहुचाने लिए दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोला और तिब्बती शरणार्थियों स्वास्थ, आवास, औधोगिक रोजगार, कृषि तथा पुनर्वास से जुडी अन्य गतिविधियों के लिए 300000 अमेरिकी डॉलर आंवटित किये। 1970 में तिब्बतियों को कृषि के क्षेत्र में पुनर्वास करने के लिए मुख्य रूप से 200000 अमेरिकी डॉलर दिये गये।

सन् 1971 में एक करोड़ शरणार्थी युद्धग्रस्त तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आये। इन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को धुरी बनाया गया। अब तक की सबसे बड़ी शरणार्थी कार्यवाही में सहायता के लिए भारत सरकार की 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की राशि दी गई। भारत सरकार ने इनके लिए शरणार्थी शिविरों की स्थापना किया तथा इनके भोजन व चिकित्सीय सुविधा आदि की व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार किया। ये शरणार्थी 1972 में बंगलादेश बनने के पश्चात् अपने देश वापिस लौट गये।

श्रीलंका से तमील शरणार्थियों का आगमन 80 के दशक से प्रारम्भ हुआ तथा दो लाख से ज्यादा तमील जातीय हिंसा से त्रस्त होकर भारत के तमिलनाडू प्रांत में आये। इनमें से अधिकांश अपने देश में वापिस चले गये लेकिन आज भी बहुत से तमील शरणार्थी भारत में निवास कर रहे है।

इसके अतिरिक्त लगभग 50000 अफगान शरणार्थी 1971 में पाकिस्तान से कुछ सिंधी शरणार्थी तथा म्यांमार, इरान, और नेपाल से (नेपाली–भूटानी) शरणार्थी भी भारत आये। सन् 2003 में भारत ने 300000 शरणार्थीयों को शरण दे रखी है। यद्यपि आज भी भारत ने शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय 1951 पर हस्ताक्षर नही किए है तथापि भारत शरणार्थी को शरण देने के मामले में ''अतिथि देवो भवः' के सिद्वान्त का अनुपालना करके उदारता का परिचय देता है।

भारत में शरणार्थियों के लिए संस्थागत दायित्व – भारत में शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के रूप में भारत सरकार सम्यक विधिक उपबंधो के अभाव में आज्ञापक रूप से कार्य करती है, अपितु भारत सरकार का कार्य संस्थागत रूप में नैतिकता के सिद्वान्तों का आधारित होता है।

भारत शरणार्थियों की समस्या का वास्तविक समाधान उनके वापिस जाने को ही मानता है। भारत का मत है कि जैसे ही शरणार्थी के अपने देश में परिस्थितियों अनुकूल हो जाए शरणार्थी को स्वेच्छा से अपने देश लौट जाना चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सन् 1992 में श्रीलंका के शरणार्थियों को भारत से वापिस किया गया और यह प्रक्रिया 1995 तक चलती रही। इसी तरह चकमा शरणार्थियो को वापिस करने के लिए मार्च 1997 में भी गई।

संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग का संस्थागत उत्तरदायित्व :– संयुक्त राष्ट्र का उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापनास का प्रस्ताव 3 दिसम्बर 1949 को पारित हुआ। इससे पहले शरणार्थियों की सहायता के लिए एक विशिष्ट संगठन पश्चिम एशिया के फिलीस्तीन शरणार्थियों की सहायता और कल्याण की स्थापना की गई।

शरणार्थी उच्चायुक्त को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा मनोनीत किया जाता है यह संस्था अस्थाई होती है, प्रारंभ मे इसका कार्यकाल मात्र 3 साल के लिए था उसके पश्चात् इसने कार्यकाल को प्रत्येक 5 वर्ष बढ़ा दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग को 128 से भी अधिक देशों मे मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग को 1954 तथा 1987 में 'नोबेल शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

शरणार्थियों के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग की प्रास्थिति संबंधि विधि 1950 के अनुच्छेद 8 में उच्चायोग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व बताए गए है:–

1. यह शरणार्थियों की संरक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय अभिसमयों की पुष्टि करेगा तथा उनका लागू किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. यह सरकारों के साथ करार द्वारा शरणाथियों की स्थितियों में सुधार करेगा।
3. यह शरणार्थियों के प्रवेश में सहायता करेगा।

भारत में शरणार्थियों की विधिक प्रास्थिति :– भारत में शरणार्थियों की संरक्षा के लिए पृथक रूप से कोई विधि नही है, तथा शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बन्धित अभिसमय, 1951 तथा नयाचार (प्रोटोकोल) 1967 की थी पुष्टि भारत ने नही की है। शरणार्थियों के लिए सम्यक विधि के अभाव में विदेशियों विषयक अधिनियम, 1948 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के उपबंधो के अनुरूप ही शरणार्थियों के साथ व्यवहार किया जाता है।

शरणार्थियों के लिए भारत में अधिनियम विधि के अभाव में भारत के संविधान कि मूल अधिकारों के अनुसार न्यायालयों ने शरणार्थियों के विवादों का विनिश्चय किया है। इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 तथा 25 के अधीन शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान की गई है।

अरूणाचल प्रदेश बनाम खुदीराम चकमा 1994 उच्च न्यायालय 615 ने कहा कि चकमा शरणार्थी को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 6 क का लाभ नही मिल सकता। इस धारा के अन्तर्गत केवल असम में निवास करने वाले शरणार्थियों को निश्चित अवधि पूरी करने के बाद नागरिकता प्राप्त की जानी थी लेकिन अपीलार्थी ने अरूणाचल प्रदेश से पलायन किया था इसलिए उसे इस धारा का लाभ प्राप्त नही हुआ।

लुइस डी. रीट बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एआईआर 1991 उच्चतम न्यायालय के मामले में न्यायालय ने कहा कि एक्ट 21 में प्राण एंव वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को भी उपलब्ध है।

आनन्द भवनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1991 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया सुनवाई का अवसर दिए बिना, देश निकाला का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल नही है, परन्तु **मोहम्द खांन बनाम स्टेट ऑफ आंधप्रदेश में आंधप्रदेश** उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को देश निकालने से पहले फेयर प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

नेशनल हयूमन राइटस कमीशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1996 उच्च न्यायालय 295 के मामले चकमा शरणार्थियों की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को खतरा हो गया था। इस खतरे को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की प्राण

एंव दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए भारत सरकार चकमा शरणार्थियों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा याचिकाकर्ता को 10000 का भुगतान भी करे।

चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चन्द्रिमा दास 2000 मानव अधिकार का प्रवर्मन करके एक विदेशी राष्ट्रीय को 10 लाख रूपये प्रतिकर का आदेश दिया।

विरमा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एआईआर 1951 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि वे संधिया जो अंतराष्ट्रीय विधि का भाग है, देश की विधि का भाग नही होती यदि विधायी प्राधिकारी द्वारा अभिव्यक्त रूप से उन्हें मान्यता न दी गई हो।

शरणार्थी समस्या का सथायी समाधान –

1. शरणार्थी स्वेच्छा से अपने घरो को लौट जाए।
2. आश्रय देने वाले देश की जनसंख्या में सम्मिलित हो जाए।
3. उनका किसी देश में पुनर्वास हो जाए।

निष्कर्ष :–

द्वितीय विश्च युद्ध के पश्चात् आन्तरिक रूप से विस्थापितो की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा ध्यान दिया गया। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति ऐसे लोग होते है जो अपने ही देश में सामप्रदायिक दंगे, अकाल, भूकम्प, बाढ़, आतंकवादी गतिविधियों बाह्य आक्रमण के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर देश के अन्य भागो में निवास करने लग जाते है। आंतरिक विस्थापितो की समस्या दिन प्रतिदिन प्रत्येक देश में बढ़ती जा रही है। भारत में लगभग 250000, श्रीलंका में 100000 से अधिक आंतरिक विस्थापित व्यक्ति है। जेनेवा समिति, 1981 की रिपोर्ट के अनुसार आश्रय चाहने वाले व्यक्ति को वह राष्ट्र आश्रय देगा, जहां वह सर्वप्रथम शरणार्थी के रूप में आश्रय चाहता है, यदि वह देश स्थायी रूप से उसको आश्रय देने के लिए असमर्थ है, तो उसे अस्थायी आश्रय देगा। इस प्रकार का आश्रय जाति, धर्म राजनैतिक विचार, राष्ट्रीयता के अथवा शारारीक अक्षमता के भेदभाव के बिना दिया जायेगा। आंतरिक विस्थापितों के लिए ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए कि वे अपने मूल निवास स्थान को वापस जा सके तथा उन्हें पुनः अपने स्थानों में पुनर्वासित करने के कार्य को करना संबंधित देश का प्रथम दायित्व माना गया है।

सन्दर्भः–

1. मानव अधिकार, डॉ. टी.पी त्रिपाठी
2. मानव अधिकार, डॉ. जय जयराम उपाध्याय
3. मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
4. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, डॉ. एस.के.कपूर
5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
6. भारत का संविधान, आचार्य डी.डी. बसु